



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव के उद्घाटन समारोह में पाक विस्थापितों को पुनर्वास के लिये भूखंड के आवंटन पत्र दिये। कुल 118 परिवारों को भूखंड दिये गये हैं। मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से 5 परिवारों को आवंटन पत्र प्रदान किये।

मुख्यमंत्री ने जोधपुर में पाक विस्थापितों को भूखंड दिये

राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र में पाक विस्थापितों के विकास के वादा के तहत यह आवंटन किया गया है

जोधपुर, 9 जनवरी (कास)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को पश्चिमी राजस्थान उद्योग शिल्प उत्सव के विधिवत् शुभारंभ के अवसर पर पाक विस्थापितों को पुनर्वास के लिए आवासीय भूखंडों के आवंटन पत्र दिए। राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र में पाक विस्थापितों के सर्वांगीण विकास का वादा किया गया है, जिसमें नागरिकता से जुड़ी समस्या व पुनर्वास का समाधान भी सम्मिलित हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में रह रहे पाक विस्थापितों में अधिकतर परिवार समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं। जन घोषणा की क्रियान्वित हेतु पाक विस्थापितों का पुनर्वास करने की दिशा

■ जोधपुर विकास प्राधिकरण ने विनोबा भावे नगर के 1700 भूखंडों से 118 चयनित पाक विस्थापितों को लॉटरी के माध्यम से भूखंड आवंटित किया।

में राज्य सरकार ने कई कदम उठाये हैं। इसी क्रम में, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने विनोबा भावे नगर आवासीय योजना विकसित की है। कार्यक्रम में, विनोबा भावे नगर आवासीय योजना में चयनित 118 परिवारों में से पांच परिवारों को प्रतीकात्मक रूप से मुख्यमंत्री ने आवंटन पत्र प्रदान किए।

विनोबा भावे नगर आवासीय योजना राजस्व ग्राम चौखा के ख.सं.

28 में 310 बीघा भूमि में स्वीकृत है। योजना जोधपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 18 कि.मी. दूरी पर है। योजना के अन्तर्गत पार्क, व्यवसायिक भूखंड, ओसीएफ एवं अन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। योजना में कुल 1700 भूखंड हैं, जिनकी आरक्षित दर प्राधिकरण द्वारा राजस्थान नगरीय विकास निकाय (भूमि निष्पादन नियम 1974 के अधीन) आरक्षित दर 9178/-रूपए प्रति वर्गमीटर रखी

गयी है। जेडीए द्वारा वर्तमान में 118 चयनित पाक विस्थापित परिवारों को लॉटरी के माध्यम से भूखंड आवंटन किए गए हैं। योजना में 60 वर्गमीटर तक के भूखंड आरक्षित दर के 25 प्रतिशत मूल्य, यानी 2295/-रूपए प्रति वर्गमीटर की दर पर आवंटित किए गए हैं। इस अवसर पर, प्राधिकरण आयुक्त उत्साह चौधरी, सचिव भागीरथ विश्वासी, उपायुक्त जोन-4 अदिति पुरोहित, उपायुक्त जोन-3 जयपाल सिंह राठौड़, तहसीलदार जोन-4 इंसरज राठौड़, आईटी सेल के एसीपी नरेश कुमार एवं प्रोग्रामर कैलाश जोशी भी उपस्थित थे।

दिल्ली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) है तथा उसके खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि इसके बाद कांग्रेस का प्रचार तो मंद पड़ गया है पार्टी बैंक फुट पर दिख रही है।

यह सवाल तक पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस गंभीरता से दिल्ली चुनाव लड़ रही है?

ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे ने केजरीवाल को समर्थन देने का वादा किया है तथा वे दिल्ली में उनके लिए सभाएं भी करेंगे।

दिल्ली के त्रिकोणात्मक चुनाव में कांग्रेस सबसे कमजोर पार्टी है तथा इसके एक विश्वसनीय विलक्षण के रूप में उभरने की लेश मात्र भी संभावना नहीं है।

संभल की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) किया जा चुका है तथा 19 ऐसे कुएं चिह्नित किये गये हैं, जिन्हें सार्वजनिक पूजा/ उपयोग लायक बनाने का काम चल रहा है।

आवेदन पत्र में आगे कहा गया है: "जिला प्रशासन पुराने मंदिरों तथा कुओं के तथाकथित पुरुरद्धार के अभियान के अन्तर्गत, यह प्रचार रहा है कि इस कुएं के सार्वजनिक उपयोग की मंजूरी दी जा रही है। प्रशासन जोर देते हुए कह रहा है कि कुओं का धार्मिक महत्व है।" प्रार्थना पत्र में आगे कहा गया है कि पूरे संभल नगर में तथा मस्जिद के पास ऐसे पोस्टर लगा दिये गये हैं, जिनमें ऐतिहासिक कुओं की स्थिति बताई गई है तथा पोस्टरों में मस्जिद को मंदिर के रूप में दर्शाया गया है।

गुरुवार को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को एचएमपीवी केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं।

एचएमपीवी संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों में देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केन्द्र ने राज्यों को इन्फ्लूएंजा लाइव इलनेस और सीवर एक्वेट रेस्पेट्री इश्युज जैसी सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और एचएमपीवी के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है।

राष्ट्रदूत हिन्दू संयुक्त परिवार को और से सोभेश शर्मा द्वारा ज्वाइंट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयरड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक: राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513 छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033 बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाऊस, हनुमान हथ्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुरी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालौर कार्यालय: - जी 1/63, इन्डस्ट्रियल परिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय: - जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

देश में विभिन्न श्रेणियों के चयनित 10 हजार लोग गणतंत्र दिवस परेड देखेंगे

कल्याणकारी योजनाओं में सर्वोत्तम काम तथा अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को विशेष अतिथि बनाया जायेगा

नयी दिल्ली, 09 जनवरी। राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों में जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राजधानी के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस को परेड को देखने के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में सर्वोत्तम कार्य करने वाले लगभग दस हजार विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है।

रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि विविध पृष्ठभूमि वाले भारत के उन "स्वर्णिम निर्माताओं" को परेड का साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किया गया है जिन्होंने सरकार की योजनाओं का सर्वोत्तम इस्तेमाल करते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इन विशेष अतिथियों को 31 श्रेणियों में से चुनाया गया है, जिनमें गांवों के सरपंच, आपदा राहत कार्यकर्ता, वाइब्रेंट विलेज से आए मेहमान, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जल योद्धा, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सदस्य और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पानी समिति के सदस्य आदि शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने पंचायतों के बीच एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की घोषणा की थी। जिन पंचायतों ने कम से कम छह प्रमुख योजनाओं में लक्ष्य हासिल किए हैं, उन्हें विशेष अतिथि के रूप में चुना गया। आमंत्रित अतिथियों में से कुछ, स्वयं सहायता

■ विशेष अतिथियों का चयन 31 श्रेणियों में से किया जायेगा, जिनमें सरपंच, आपदा राहत कार्यकर्ता, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जल योद्धा, प्राथमिक कृषि ऋण समिति तथा पानी समिति के सदस्य आदि प्रमुख हैं।

समूहों के माध्यम से आय और रोजगार सृजन तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य, जल स्वच्छता और सफाई, पंचायती राज संस्थाओं-समुदाय आधारित संगठनों और लैंगिक गतिविधियों के क्षेत्रों में काम करने वाले सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। ऐसे सदस्यों को प्राथमिकता दी गई है, जो कभी राजधानी दिल्ली नहीं आये हैं।

प्रधानमंत्री-जनमन मिशन प्रतिभागियों, आदिवासी कार्यगरो, वन धन विकास योजना के सदस्यों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम उपक्रमों, आशा कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को भी आमंत्रित किया गया है।

आपदा राहत और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में

उत्कृष्ट कार्य करने वाले आपदा राहत कार्यकर्ताओं, पानी समिति, जल योद्धाओं, सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों, वन और वन्यजीव संरक्षण स्वयंसेवकों को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य पर योजना और प्रधानमंत्री कुसुम के तहत पर्यावरण संरक्षण और अक्षय ऊर्जा के उपयोग में सहयोग करने वाले किसानों और परिवारों को भी पहली बार आमंत्रित किया गया है।

पैरा-ओलंपिक दल के सदस्य, शतरंज ओलंपियाड पदक विजेता, ब्रिज वर्ल्ड गेम्स रजत पदक विजेता और स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप स्वर्ण पदक विजेता को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने-अपने खेलों में अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है।

नवाचार और उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए, पेटेंट धारकों और स्टार्ट-अप को भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल किया गया है। देशभक्ति की भावना में अंतर्प्रोत्साहक बच्चे, जो अखिल भारतीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता और वीर गाथा प्रतियोगिता के विजेता बनकर उभरे हैं, वे भी गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

आर.पी.एस.सी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाहिर होता है कि 2019 में ऐसे कई अभ्यर्थी थे, जिन्होंने अपने आखिरी सत्र की अंतिम परीक्षा नहीं दी थी, उनके द्वारा दायर याचिकाओं को अदालत खारिज कर सकती है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी जिरह की गई थी कि आरपीएससी स्वयं ही उन अभ्यर्थियों को हटा देगी, जिन्होंने आखिरी सत्र की अंतिम परीक्षा में भाग नहीं लिया है। अदालत ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद, आर.पी.एस.सी. को आदेश दिये कि वह नयी मैरिट लिस्ट जारी करे और उन अभ्यर्थियों को हटाये, जिन्होंने डिग्री के आखिरी सत्र की अंतिम परीक्षा नहीं दी है और उन अभ्यर्थियों को भी लिस्ट से हटाये, जिन्होंने फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 24 नवंबर 2019 तक फॉर्म जमा नहीं किया था। अदालत ने उन याचिकाकर्ताओं को राहत दी है, जिन्हें आरपीएससी ने मैरिट लिस्ट में जगह नहीं दी थी, जबकि उन्होंने नियम अनुसार डिग्री प्राप्त कर रखी थी या कोर्स के अंतिम सत्र की आखिरी परीक्षा दे रखी थी।

‘सायबर फ्राँड के पीड़ित को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

94,204 रु. चुरा लिये। चुराया गया पैसा कई यू.पी.आई. ट्रान्ज़ैक्शनों के जरिये ट्रांसफर हुआ। जांच में सामने आया है कि यह घोटाला लुइस फिलिप वेबसाइट पर 2021 डेटा-ब्रीच से शुरू हुआ था। लुइस फिलिप की वेबसाइट से ग्राहक की संवेदनशील जानकारी उपलब्ध कराई थी, जिसमें पीडित के कॉन्टैक्ट डिटेल् शामिल थे। इस डेटा की मदद से, फ्राँड करने वाले ने घोटाले के रुपरेखा बनाई तथा उसे अंजाम दिया, और पीडित के पास केवल अवॉरिज बलैजर और खाली हो चुका बैंक खाता रह गया।

फ्राँड के अन्तर्गत हुये ट्रान्ज़ैक्शन्स का जानकारी मिलने पर, पीडित ने तुरंत ही अपना खाता बंद करने के कदम उठाये तथा इस घटना की रिपोर्ट असम पुलिस, और पी.पी.आई. बैंकिंग लोकपाल तथा गृहमंत्रालय को, उसके नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से कर दी।

उसकी इस त्वरित कार्यवाही के बावजूद, एस.बी.आई. ने अपनी जवाबदेही ने इनकार कर दिया और तर्क दिया कि वे ट्रान्ज़ैक्शन गूगल पे के जरिये हुये थे, जो थर्ड पार्टी ऐप है, तथा बैंक सीधे उसकी सिफारिश नहीं करता है। एस.बी.आई. के रुख को स्वीकार करने से इनकार करते हुये, पीडित ने कानूनी कार्यवाही की तथा गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने उसके पक्ष में फैसला दिया।

अदालत ने माना कि फ्राँड की हैन्डलिंग में एस.बी.आई. ने लापरवाही बरती, क्योंकि इस फ्राँड की सूचना बैंक को कुछ घंटों के अन्दर ही दे दी गई थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने एस.बी.आई. को आदेश दिये कि वह पूरी धनराशि रिफ़ंड करे।

एस.बी.आई. इस प्रकरण को सर्वोच्च न्यायालय ले गया तथा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी मूल फैसले को कायम रखा तथा समयान्तर्गत हस्ताक्षेप न करने के लिये

एस.बी.आई. की आलोचना की। अदालत ने जोर देते हुये कहा कि बैंक की जिम्मेदारी है कि यह इस प्रकार फ्राँड को रोकने के लिये अपनी उन्नत तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करे। इसके अलावा, शीफ अदालत ने एस.बी.आई. को चोरी हुआ पैसा रिफ़ंड करने के निर्देश दिये। इसके अलावा, अदालत से एस.बी.आई. को अनुचित प्रदान की कि वह फ्राँडकर्ता से पैसा वसूले, जिसे असम पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।

फैसले में बैंकों तथा ग्राहकों दोनों की ही सजगता की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को दोहराया कि जहाँ वित्तीय संस्थाओं, साइबर फ्राँड की रोकने के लिये सक्रियता एवं सजगता से काम करना चाहिये, वहीं, ग्राहकों को भी संवेदनशील जानकारी शेयर करने या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन्स का उपयोग करने में सावधानी से काम लेना चाहिये।

‘नीतीश सरकार ने गैर कानूनी गिरफ्तारी की प्रशांत किशोर की’

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया

पटना, 09 जनवरी। जन सुराज ने पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी को लेकर नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुये कहा कि बिना कस्टडी वॉरंट लिए पुलिस उन्हें बेकार जेल ले गई, जहाँ जेल अधीक्षक ने बिना कागज उन्हें अंदर रखने से मना कर दिया। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) अभ्यर्थियों के समर्थन में किशोर दो जनवरी से आमरण अनशन पर हैं। इस बीच उनकी तबियत बिगड़ी और उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल के आईसीयू वार्ड में रखा गया है। आज उनके अनशन का आठवां दिन है।

जन सुराज अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में सभी प्रमुख नेताओं ने गुरुवार को प्रेसवार्ता की। इस प्रेसवार्ता में जन सुराज युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा, किशोर कुमार मुन्ना, अधिवक्ता अमित कुमार, पूर्व एमएलसी रामबली चन्द्रवंशी उपस्थित रहे।

अधिवक्ता अमित कुमार ने बताया कि यह आश्चर्यजनक है कि जब किशोर को न्यायालय परिसर से निकाला गया, और बेकार जेल की ओर ले जाया गया

■ जन सुराज पार्टी ने कहा कि प्रशांत किशोर पर घातक हथियार रखने की धाराएं लगाई हैं, क्या बिहार पुलिस कम्बल और मफलर को हथियार मानती है।

■ इसी बीच खबर है कि प्रशांत किशोर की तबयित बिगाड़ गई है, उन्हें पटना में मेदांता अस्पताल के आई.सी.यू. में भर्ती किया गया है।

■ प्रशांत किशोर बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों के समर्थन में 2 जनवरी से आमरण अनशन पर हैं।

तब अदालत के अंदर सुनवाई चल ही रही थी। बिना कस्टडी के कागज लिए इन्होंने किशोर को बेकर जेल ले जाना चाहा। जेल अधीक्षक ने बिना कस्टडी कागज के उन्हें अंदर रखने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि जिन धाराओं पर केस दर्ज किया गया है, वह चौकाने वाला है।

कुमार ने बताया बीएनएस धारा 190, 191 (2), (3) और 223 सभी के सभी जमानती धाराएं हैं, लेकिन ये हास्यास्पद हैं कि 191(3) यह धारा दंगा करने का दोषी, यह घातक हथियार

रखने पर लगाया जाता। वहां पर किसी बच्चे के हाथ में एक छड़ी तक नहीं थी, कम्बल और मफलर को बिहार पुलिस हथियार मानती है तो बिहार पुलिस गजब है, ये सत्याग्रह था, यह किस तरह से उपद्रवी हो गया। और सबसे बड़ी बात प्राथमिकी गांधी मैदान थाना में हुआ था, और उन्हें गांधी मैदान थाने में क्यों नहीं ले जाया गया। बेकर जेल ले गए, जब भीड़ नहीं संभाली गई तो माइक किशोर को ही थमा दिया गया।

मिश्रा ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुये कहा कि किसी

को नहीं पता था वे लोग किशोर को कहाँ ले कर जा रहे हैं, तब मैं पीले खूब और मैंने देखा कि किसी पुलिस अफसर के बर्दी पर नाम प्लेट नहीं था, रैक नहीं था किसी ने कैप तक नहीं लगाया था। बिहार पुलिस के नाम पर बहुरूपिया हो क्या पता, किसी ने अपनी आईडेंटिटी तक नहीं बताई। ऐसा बताता किसी अर्थात् के साथ भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैं डीजीपी से आग्रह करता हूँ, कम से कम बेसिक गाइडलाइंस फॉलो कीजिए। डीके बासु गाइडलाइंस साफ कहती है अपना आईडेंटिटी बताना होता है। वहां पर कोई अपना रैक नहीं बता रहा, जब मैंने गाइडलाइंस याद दिलाया फिर उन्होंने बस अपना रैक बताया। यह पूरी तरह से गैरकानूनी डिटेन्शन किया गया था।

मुन्ना ने बताया सुबह चार बजे बड़े संख्या में पुलिस आती है और किशोर को जबरन उठाती है और किशोर को एक अन्य मामले में सीबीआई और ईडी की जांच के दायरे में थी।

डॉक्टर को किशोर को एडमिट करने के लिए दवाव दिया जाता है, लेकिन उनसे प्रशासन बिना कागजात उन्हें भर्ती करने से मना कर देता है।

कार्ति चिदम्बरम पर सी.बी.आई. ने नया केस दर्ज किया

नयी दिल्ली, 09 जनवरी। सीबीआई ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है, साल 2018 में सीबीआई ने कार्ति एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड उनके सहयोगी एस भास्करराम और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की थी। यह जांच विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से जुड़े एक मामले में हो रही थी।

■ कार्ति चिदम्बरम को सी.बी.आई. ने 2018 में मीडिया से जुड़े एक मामले में भी गिरफ्तार किया था।

जांच में पाया गया कि डिवायजियो स्कॉटलैंड और सिकोइया कैपिटल्स ने संदिग्ध तरीके से उक्त कंपनी के खाते में पैसा ट्रांसफर किया था। यह वही कंपनी है जो मीडिया मामले और चीनी कर्मचारियों को भारतीय वीजा दिलाने के एक अन्य मामले में सीबीआई और ईडी की जांच के दायरे में थी।

सीबीआई का आरोप है कि डिवायजियो स्कॉटलैंड ने यह प्रतिबंध हटवाने के लिए कार्ति चिदंबरम से संपर्क किया।

मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या

मेरठ, 09 जनवरी। मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घर के अंदर पति-पत्नी के शव चादर में लिपटे मिले। जबकि उनकी तीन बेटियों को मारकर उन्हें बोरी में भरा गया, फिर खेड के बाँस में छिपा दिया गया। घर के गेट पर बाहर से ताला लगा था। रिश्तेदार और भाई सुबह से फोन कर रहे थे, लेकिन कॉल नहीं उठ रही थी। पड़ोसियों में भी एक दिन से परिवार को देखा नहीं था।

यह पूरा मामला लिसाडी गेट इलाके के सोहेल गिंसान का है। मरने वालों में पति मोईन, पत्नी आसमा और 3 बेटियाँ-अप्रसा (8), अजीजा (4), अदीबा (1) शामिल हैं। मोईन मिस्त्री का काम करता था।

पुलिस और फॉरेंसिक टीम घर की तलाशी ले रही है। मोईन किएए के मकान में रहता था। घर की दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं था। मकान 70 वर्ग वर्ग में बना हुआ है। दरवाजे को तोड़ने के बाद भाई अंदर पहुँचा। जमीन पर कपड़े और सामान बिखरे हुए थे। दरवाजे के सामने ही एक कमरा था, पास में खेड का किचन। कमरे में जमीन पर खेड के पास मोईन और उनकी पत्नी की लाश थी, जो चादर की गठरी में थी। उनके

■ पति-पत्नी की लाश गठरी में और तीनों बेटियों की लाश बेंड के अंदर मिली है।

■ हत्या की जानकारी तब मिली, जब मृतक का बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ उसके घर आया और उसने दरवाजा बाहर से बंद पाया।

गले धारदार हथियार से रेत दिए गए थे। जमीन पर खून ही खून फैला हुआ था। कमरे में किसी तरह की दुर्गंध नहीं थी। ऐसे में अनुमान लगाया गया मर्डर हुए एक्सावत वक्त नहीं बीता है। खेड में सामान रखने के लिए बाँस बने हुए थे। एक तरफ से यह भी खुला हुआ था। खेड के अंदर बचिच्यों की लाशें छिपाई गई थी। ये लाशें बोरीयों में थीं। अंदर खून भी फैला हुआ था। दरअसल, पूरा मामला तब खुला, जब मोईन का भाई सलीम अपनी पत्नी के साथ मौके पर पहुँचे।

राजस्थान में घने कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना

नयी दिल्ली, 09 जनवरी। देश के उत्तरी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में आले तीन से चार दिन तक घना से बहुत घना कोहरा छाये रहने का अनुमान जताया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में कल तक और 12 जनवरी को राजस्थान में रात और सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी रहने के आसार हैं।

आईएमडी ने कहा, 11 और 12 जनवरी को बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, उग्र-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग-अलग इलाकों में रात और सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति बने रहने का अनुमान है।

■ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यू.पी., राजस्थान व एम.पी. में शनिवार अंबािका।

पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के साथ इसके संपर्क के कारण 10 से 12 जनवरी के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में बारिश के दौर का अनुमान है। मौसम विभाग ने 11 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है, साथ ही 11 जनवरी को दक्षिण हरियाणा और राजस्थान में छिटपुट ओलावृष्टि के भी आसार व्यक्त किये हैं।